

अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये
विलम्ब का कारण

राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण "मुद्रित प्रतियाँ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना एवं विधान मण्डल का द्वितीय सत्र-2020 का अत्यधिक लघु होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 2020
श्रावण 7, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 793/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(132)-2020

लखनऊ, 29 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प०आ०-514

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर एतद्द्वारा अधिसूचना सं०-क०नि०-2-838/ ग्यारह-9(47)/ 17-उ०प्र०अधि० -1-2017-आदेश-(08)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो कि निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

| क्र०सं० | पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग | ब्याज की दर | कर अवधि |
|---------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | करदाता, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो | नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 24 जून, 2020 तक 9 प्रतिशत | फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|--|--------------|
| 2 | करदाता, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में है | 30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत | फरवरी, 2020 |
| | | 5 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत | मार्च, 2020 |
| | | 9 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत | अप्रैल, 2020 |
| | | 15 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत | मई, 2020 |
| | | 25 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत | जून, 2020 |
| | | 29 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत | जुलाई, 2020" |

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 793/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(132)-2020, dated July 29, 2020:

No. 793/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(132)-2020

Dated Lucknow, July 29, 2020

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no 1 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification no.-KA.NI.-2-838/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(08)-2017, dated June 30, 2017, namely:-

IN the said notification, in the first paragraph, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below for the period mentioned therein, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, namely:-

TABLE

| Sl. No. | Class of registered persons | Rate of interest | Tax period |
|---------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year | Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter till 24 th day of June, 2020 | February, 2020, March 2020, April, 2020 |
| 2 | Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the State of Uttar Pradesh. | Nil till the 30 th day of June, 2020, and 9 percent thereafter till the 30 th day of September, 2020 | February, 2020 |
| | | Nil till the 5 th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020 | March, 2020 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|---|-------------|
| | | Nil till the 9 th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020 | April, 2020 |
| | | Nil till the 15 th day of September, 2020, and 9 percent thereafter till the 30 th day of September, 2020 | May, 2020 |
| | | Nil till the 25 th day of September, 2020, and 9 percent thereafter till the 30 th day of September, 2020 | June, 2020 |
| | | Nil till the 29 th day of September, 2020, and 9 percent thereafter till the 30 th day of September, 2020 | July, 2020. |

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.